

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड, वन विभाग हेल्प लाईन नं०-1926

पत्रांक- 3582 / 12-1 बड़कोट, दिनांक १७ मई /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांक 01.04.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 567/3एल0ए0, दिनांक 01.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या निम्नानुसार अग्रसारित की जा रही है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The State Government shall ensure that there shall be no encroachment in nearby land in near future. An undertaking in this regard shall also be submitted.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-1)।
2	The State Government shall incorporate the plantation of at least 50 % Oak species in CA scheme along. Accordingly, revised CA scheme shall be submitted	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत बांज प्रजाति का वृक्षारोपण संबंधित शर्त का अनुपालन किया जायेगा। संशोधित दर के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है (संलग्नक-2)।
3	The State Government shall ensure that the purpose of land use shall not be changed. An undertaking in this regard shall also be submitted	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-3)।
4	The user agency shall submit an undertaking that they along with the villagers shall cooperate the Forest Department in protection against Forest Fire”	उक्त बिन्दु के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है (संलग्नक-4)।

अतः आख्या मय प्रयोक्ता एजेन्सी की अनुपालन रिपोर्ट सहित महोदया की सेवा में सादर प्रेषित

है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डरीर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 567/3 एचएचएच

दिनांक 01/05/2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, कोटबंगला
उत्तरकाशी।

✓ 2. प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव चापडा कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.बी./06/35/2021/एफ.सी./05 दिनांक 01.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2025 में प्रस्ताव पर की गई चर्चा के अलोक में अतिरिक्त शर्तों का बिन्दुवार प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न- 04 प्रमाण-पत्र।

अपर यमुना वन विभाग (बडकोट)
पंजी संख्या 4280
पत्रावली संख्या 12-1
प्रकरण संख्या
दिनांक 15/05/25

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि -1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

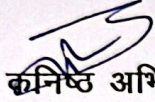
माननीय
हो०आ० कार्यवाही को

प्र० व० 340
14/05/2025

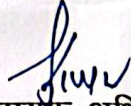
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

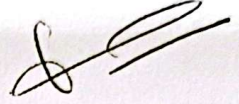
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, एवं भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गलीसौड़ (उत्तरकाशी)।

चोपड़ा सोयम (7.470 है0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।					
1.परियोजना का नाम-जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बणगांव-चोपड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।					
2.वृक्षारोपण स्थल का नाम- चोपड़ा सोयम, अक्षांश- 30°41'27 देशान्तर-78°09'11					
3.परियोजना का क्षेत्रफल- 7.470 है0					
प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य					
क्र०सं 0	कार्य का विवरण	ईकाई	संख्या	दर	धनराशि
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण सीमांकन, एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना	प्र0है0	7.470	309.40	2311.22
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान 1/2 भाग	प्र0है0	3.735	2367.30	8841.87
3	दो वर्ष पौधों की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)	प्र0पौध	8217	29.50	242401.50
4	गद्दों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)	प्र0ग0	8217	0.91	7477.47
5	कन्दूर फरों का समरेखण	प्र0फर	747	1.78	1329.66
6	कन्दूर फरों का खुदान करना 300 रनिंग मी0 प्रति है0 (3x0.30x0.20)	प्र0फर	747	171.59	128177.73
7	गद्दे खुदान कार्य (0.30cmx0.30cmx0.45cm) 1200 गद्दे	प्र0ग0	8217	16.90	138867.30
8	दिवाल बन्दी कार्य (फैन्सिंग) 1120x0.60+0.45/2x1.20= 490 घ0मी0	प्र0घ0मी0	490.00	964.60	472654.0
9	वृक्षारोपण की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (तीन बल्ब प्रति मीटर)	प्रति 100 बल्ब	33.60	1082.90	36385.4
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य				
I	परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य	संख्या	16	15000.00	240000.00
II	कोरे पत्थरों के चैकडेम निर्माण कार्य	संख्या	15.00	30000.00	450000.0
III	घाल-खाल निर्माण	संख्या	17.00	20000.00	340000.0
IV	क्रेटवायर चैकडेम निर्माण कार्य करना।	संख्या	10.00	30000.00	300000.0
11	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र0है0	7.470	1639.20	12244.82
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय,	प्र0है	7.470	1497.52	11186.47
				Total	2391877.48
द्वितीय चरण					
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)	प्र0पौध	8217	5.38	44207.46
2	पौध दुलान कार्य मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी जड़ व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	प्र0पौध	8217	17.78	146098.26
3	कन्दूर फरों में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रिकरण करना तथा कटिंग दुलान सहित)	प्र0फर	747	13.00	9711.00
4	कन्दूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 से0मी0 ऊपर उठाकर भरण कर दबाना।	प्र0फर	747	13.00	9711.00
5	कंकड़-पत्थर छानकर गद्दों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण करना।	प्र0ग0	8217	3.06	25144.02
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	प्र0पौध	8217	5.75	47247.75
7	गद्दों में रासायनिक खाद(25 ग्रा0 प्रति गद्दा)/जैविकखाद/जीवामृत/कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित	प्र0पौध	8217	2.02	16598.34
8	निराई-गुड़ाई व मलियंग करना प्रथम व द्वितीय बार	प्र0पौध	8217	14.05	115448.85

9	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर	प्र0माह	9.00	9602.68	86424.12
10	अग्नि सुरक्षा कार्य				
I	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
II	सुरक्षा घेर बाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	प्र0है	7.470	380.00	2838.60
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छपपर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड (अनिवार्य) व औजार क्रय/तेज करना/मरम्मत/ डाक्यूमेंटेशन/फोटोग्राफी आदि	प्र0है0	7.470	2545.24	19012.94
				Total	527245.55
तृतीय वर्ष- अनुसूचण प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	9602.68	115232.16
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	प्रति पौघ	8000	2.28	18240.00
3	क्षतिपूर्ति रोपण				
i	पौघ की कीमत	प्र0पौघ	217	42.01	9116.17
ii	पौघ की डुलान	प्र0पौघ	217	17.78	3858.26
iii	गढ़दे खुदाना, कीटनाशक मिलाकर भ्रान एवं थावलाबंदी कर रोपण करना	प्र0पौघ	217	25.70	5576.90
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य -रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	159665.30
चतुर्थ वर्ष- अनुसूचण द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	प्रति पौघ	7800	2.28	17784.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य -रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	140657.97
पंचम वर्ष- अनुसूचण तृतीय वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है0	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97
षष्ठम वर्ष- अनुसूचण चतुर्थ वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				

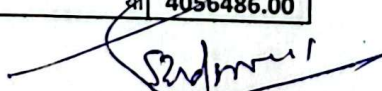
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्रति है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97
सप्तम वर्ष- अनुसूचण पंचम वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अंतर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	प्रति है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्रति है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97
अष्टम वर्ष- अनुसूचण पष्ठम वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत गली प्लगींग निर्माण कार्य करना।	प्र० संख्या	10.00	10000.00	100000.00
				Total	222873.97
नवम वर्ष- अनुसूचण सप्तम वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97
दसम वर्ष- अनुसूचण अष्टम वर्ष					
1	तृतीय वर्ष अनुसूचण 12 माह हेतु	प्रति माह	12.00	9602.68	115232.16
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्र० है०	7.470	643.00	4803.21
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर	प्र० है०	7.470	380.00	2838.60
				Total	122873.97

जान किया
 40,56,486.12
 ह० Shankar
 मानसिक कार
 १० १० १० १० १० १०


 प्रभागीय वनाधिकारी
 बपर यमुना वन प्रभाग
 बडकोट


 वन दरोगा
 खाटल सैक्शन।

प्रथम वर्ष- अ०मृ० कार्य	2391877.48
द्वितीय चरण	527245.55
तृतीय वर्ष-	159665.30
चतुर्थ वर्ष-	140657.97
पंचम वर्ष-	122873.97
पष्ठम वर्ष-	122873.97
सप्तम वर्ष-	122873.97
अष्टम वर्ष-	222873.97
नवम वर्ष-	122873.97
दसम वर्ष-	122873.97
सम्पूर्ण योग	4056690.12
मा	4056486.00

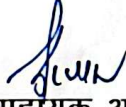

 वन क्षेत्राधिकारी
 नौगांव राजि, बर्नीगाड़।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट/भूमि की उपयोगिता प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नहीं बदला जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

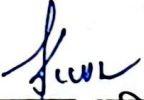


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्गालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ग्रामीणों के साथ मिलकर वन विभाग को वनों की आग से सुरक्षा में सहयोग करेंगे।


कचिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।